

ओडिशा में भीषण ट्रेन हादसे में 50 लोगों की मौत, 350 से ज्यादा गम्भीर रूप से घायल

बालासोर में कोरोमण्डल एक्सप्रेस की 6 बोगियां बेपटरी हो गईं तथा दूसरे ट्रेक पर आ रही मालगाड़ी की इन बोगियों से भीषण टक्कर हो गई

बालासोर/नई दिल्ली, 2 जून। ओडिशा के बालासोर में शुक्रवार शाम को कोरोमंडल एक्सप्रेस के छः बोगियां पटरी से उतरने के बाद दूसरी ट्रेक पर आ रही एक ट्रेन से टकरा गई। इस हादसे में अब तक 50 यात्रियों की मौत हो चुकी है और करीब 350 यात्री गम्भीर रूप से घायल हुये हैं।

अधिकारियों ने बताया कि हादसा

■ **दुर्घटना के बाद ट्रेन में फसे करीब 300 लोगों को निकाला जा चुका है तथा करीब 600-700 और लोगों को निकालने के प्रयास किये जा रहे हैं।**

शाम सात बजकर करीब 20 मिनट पर बाहानगा बाजार स्टेशन पर तब हुआ जब कोरोमंडल एक्सप्रेस कोलकाता के नजदीक शालिमार् स्टेशन से चेन्नई सेंट्रल जा रही थी। दक्षिण पूर्व रेलवे के एक अधिकारी ने बताया कि दुर्घटना राहट ट्रेन घटना स्थल पर रवाना किए गए हैं। हादसे के बाद तेजी से बचाव कार्य चलाते हुए 300 यात्रियों को निकाला जा चुका है तथा 600-700 यात्रियों को निकालने के प्रयास किये जा रहे थे।

बालासोर ट्रेन हादसे के घटनास्थल पर बचाव कार्य काफी तेजी से चल रहा है। करीब 50 एंबुलेंस को मौके पर रवाना

किया जा चुका है। मुख्य जिला स्वास्थ्य अधिकारी और उनकी टीम भी मौके पर मौजूद है। यह लोग एंबुलेंस और प्राथमिक चिकित्सा की निगरानी कर रहे हैं। अन्य जिलों से 50 डॉक्टरों को भी घटनास्थल पर रवाना किया गया है। ओडिशा के स्वास्थ्य सचिव ने बताया कि भुवनेश्वर और कटक में निजी अस्पतालों में भी मरीजों का इलाज किया जा रहा है।

कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने भी हादसे पर दुख बताया है। उन्होंने ट्विटर पर लिखा कि बालासोर, उड़ीसा में हुई ट्रेन दुर्घटना का दुखद समाचार मिला। मृतकों के परिजनों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि सभी घायलों को जल्द स्वास्थ्य लाभ मिले। सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं से अपील है कि राहत कार्यों में पूर्ण सहयोग करें।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ओडिशा रेल दुर्घटना पर दुख व्यक्त करते हुए पीडितों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त करते

हुए घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। उन्होंने अपने ट्वीट में कहा कि बालासोर में हुई रेल दुर्घटना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है और वह इससे बहुत आहत है। उन्होंने कहा कि वह पीडितों के परिजनों के प्रति हृदय से संवेदना व्यक्त करती है।

साथ ही बचाव अभियान की सफलता की प्रार्थना करते हुए दुर्घटना में घायल हुए लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की भी कामना की। ओडिशा के बालासोर में हुए रेल हादसे के बाद वरिष्ठ कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट किया है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है कि कोरोमंडल एक्सप्रेस हादसे से बहुत दुखी हूँ। परिजनों को गंमने वाले लोगों के प्रति मेरी सांत्वना है। उन्होंने घायलों के जल्द ठीक होने की दुआ की है। साथ ही राहुल गांधी ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं से बचाव कार्य में हरसंभव मदद की गुहार भी लगाई है। कोरोमंडल एक्सप्रेस हादसे में रेलमंत्री अश्विनी वैष्णव ने मुआवजे का ऐलान कर दिया है।

मणिपुर में लोगों ने अपने हथियार सेना को सौंपे

नई दिल्ली, 2 जून (वार्ता)। पिछले कुछ दिनों से हिंसा से जूझ रहे मणिपुर में शुक्रवार को लोगों ने बड़ी संख्या में अपने हथियार सुरक्षा बलों को सौंपे।

मणिपुर पुलिस के अनुसार केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अपील पर लोगों ने विभिन्न तरह के अत्याधुनिक 140 हथियार सुरक्षा बलों को सौंपे हैं। ये हथियार राज्य भर में अलग अलग जगहों पर जमा कराये गये हैं। उल्लेखनीय है कि मणिपुर में जातीय गुटों में हिंसा के बाद शाह ने इस

■ **मणिपुर पुलिस के अनुसार, लोगों ने विभिन्न तरह के अत्याधुनिक 140 हथियार सुरक्षा बलों को सौंपे हैं।**

सप्ताह राज्य का दौरा कर स्थिति की समीक्षा की थी। अपने दौर के अंतिम दिन उन्होंने एक संवाददाता सम्मेलन में राज्य के लोगों से अपने हथियार सुरक्षा बलों के पास जमा कराने की अपील की थी। साथ ही उन्होंने लोगों के पास से हथियारों की बरामदगी के लिए पुलिस को तलाशी अभियान चलाने का भी निर्देश दिया था। पुलिस के अनुसार गृह मंत्री की अपील का असर हुआ है और विभिन्न जगहों पर लोगों ने 140 हथियार सुरक्षा बलों के पास जमा कराये हैं।

हाई कोर्ट ने फांसी के सजायाफ्ता दो आरोपियों को बरी किया

आरोपियों को नाबालिग के गैररेप व हत्या करने के मामले में पाँक्सो कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई थी

जयपुर, 2 जून (का.सं.)। राजस्थान हाईकोर्ट ने बूंदी में 23 दिसंबर 2021 को पन्द्रह साल की नाबालिग से गैररेप के बाद उसकी हत्या के दो आरोपियों छोटेला व सुल्तान की फांसी की सजा को रद्द कर उन्हें दोषमुक्त कर दिया है। और बूंदी पाँक्सो कोर्ट के फांसी की सजा वाले आदेश को भी परिस्थितियों को मंजूर करते हुए दिए।

बूंदी की पाँक्सो मामलों की कोर्ट ने परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों के अपराध को दुर्लभतम से दुर्लभतम अपराध मानते हुए उन्हें 28 अप्रैल 2022 को फांसी की सजा सुनाई थी। पाँक्सो कोर्ट के आदेश के

■ **आरोपियों ने पाँक्सो कोर्ट के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील की थी, हाई कोर्ट ने इस केस में अधिवक्ता रवि चिरानिया को न्यायमित्र नियुक्त किया था।**

■ **न्यायमित्र ने रवि चिरानिया ने अभियोजन पक्ष की कई खामियां बताईं और कहा कि, इस केस की कड़ियां आपस में नहीं जुड़ रही हैं। पुलिस ने जांच ठीक तरीके से नहीं की है।**

खिलाफ आरोपियों ने हाईकोर्ट में अपराधिक अपीलें दायर की थीं। हाईकोर्ट में तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश एस.एस.शिन्डे और न्यायमित्र अनूप ढंड को खंडपीठ ने इस मामले की परिस्थितियों को समझते हुए अधिवक्ता रवि चिरानिया को न्यायमित्र घोषित किया था।

अभियोजन की खामी बताते हुए रवि चिरानिया ने कहा कि आरोपियों की गिरफ्तारी खोजी स्कॉड व डॉग टीम के आधार पर की थी, लेकिन पुलिस की चार्जशीट में टीम की गवाही ही शामिल नहीं की और ना इसे रिकॉर्ड पर लिया गया।

मामले की सुनवाई के दौरान यह भी सामने आया कि एक मुख्य आरोपी सुल्तान (उम्र 27 वर्ष) का तो एफ.आई.आर. में नाम भी दर्ज नहीं था और उसके तथा छोटेला (उम्र 60 वर्ष) के खिलाफ कोई भी स्वतंत्र चरमदीय गवाह अदालत में पुलिस ने पेश नहीं किया था।

पूरी जांच कार्रवाई में पुलिसकर्मी ही गवाह थे और कोई भी स्वतंत्र गवाह नहीं था। मामले को जानने वाले न्यायमित्र अधिवक्ता रवि चिरानिया ने बताया कि केस की एक-एक कड़ी आपस में मिलनी चाहिए, लेकिन इसमें ऐसा नहीं था, इसलिए अभियोजन की पूरी कहानी ही संदेहास्पद हो जाती है।

गौरतलब है कि नाबालिग पीड़िता काला कुआं गांव के पास जंगल में बकरियां चराने में थी। इस दौरान ही

उससे गैर रेप करने के बाद उसकी नृशंस हत्या कर दी गई थी। पीड़िता के परिजनों की रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने उसकी लाश जंगल से बरामद की थी। वहीं आरोपियों को पकड़ने के लिए दस पुलिस थानों को पुलिस ने सच ऑपरेशन चलाया और 12 घंटे में पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने यह केस ऑफिसर स्क्रीम में लेकर तीन कार्य दिवस में ही चालान पेश किया था।

अधिवक्ता रवि चिरानिया ने बताया कि मामले में डी.एन.ए. जांच भी अनिर्णायक थी और पुलिस ने छोटेला के कपड़ों पर मिला उसी का खून उसी के खून से मिलाकर कह दिया कि वह मुख्य आरोपी था। रवि चिरानिया ने यह भी बताया कि पुलिस को सभी संपत्तियों की जांच यानी फॉरेंसिक साइंस लैबोरेट्री (एफ.एस.एल.) रिपोर्ट बनाने के लिये उन्हें तुरंत ही भेजना होता है, परंतु उक्त मामले में पुलिस ने चार-पांच दिन बाद संपत्तियों को जांच के लिये भेजा जिससे रिपोर्ट भी गड़बड़ आई है।

‘आप...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

हराना आसान नहीं है। बहुत कुछ बढ़ा-चढ़ाकर कहा जाता है। मोदी असल में कमजोर हैं। देश में भारी बेरोजगारी है, महंगाई आसमान छू रही है। ये बातें भारतीय जनता को परेशान कर रही हैं।

बाइडन ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

मुंह के बल गिर गए। दरअसल, मंच पर पहुंचे राष्ट्रपति ने छात्रों से हाथ मिलाया। इसके बाद जब वह अपनी सीट की ओर वापस लौट रहे थे, तो अचानक संतुलन खो दिया और लड़खड़ाकर गिर गए। यह देखकर तुरंत वायुसेना के अधिकारी हरकत में आए और उनकी मदद की। हालांकि, बाइडन को इस घटना का खास असर पड़ता नजर नहीं आया। उन्होंने तत्काल दोबारा खुद को संभाला और सीट पर वापसी की। व्हाइट हाउस के एक अधिकारी ने जानकारी दी है कि स्ट्रेच पर सैड बैग होने के चलते यह घटना हुई। दरअसल, टेलीग्राम्पटर को सहारा देने के लिए ऐसे दो बैग को रखा गया था। 80 वर्षीय बाइडन व्हाइट हाउस लौटने पर इस घटना का मजाक उड़ाते भी नजर आए।

डेयरी बूथ ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

प्राथना पत्र में कहा गया है कि, प्रदेश में राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फैक्टरीशन (आर.सी.डी.एफ.) को डेयरी बूथ आवंटन कर उसमें उसके उत्पाद बेचने की अनुमति दी जा रही है। इन बूथों में याचिकाकर्ता के डेयरी उत्पादों को बेचने की अनुमति नहीं है। डेयरी बूथ में सिर्फ आर.सी.डी.एफ. के उत्पादों को बेचने की अनुमति देना एकाधिकार की श्रेणी में आता है। ऐसे में, जो बूथ आवंटन किए जा रहे हैं उसमें याचिकाकर्ता को भी शामिल किया जाए और इन बूथों में याचिकाकर्ता के डेयरी उत्पादों को भी बेचने की अनुमति दी जाए। इसका विरोध करते हुए राज्य सरकार और आर.सी.डी.एफ. की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता अनिल मेहता ने कहा कि, आर.सी.डी.एफ. राज्य सरकार का खुद का उपक्रम है। ऐसे में वह इसके लिए व्यवस्था करने और सुविधा उपलब्ध कराने का अधिकार रखती है। वहीं, प्रदेश में याचिकाकर्ता के डेयरी उत्पाद भी बिना कर्नाटक बिक रहे हैं। राज्य सरकार ने याचिकाकर्ता को अपने उत्पाद बेचने के रोका नहीं है और इनके उत्पाद बाजार में आसानी से उपलब्ध हैं। ऐसे में यह जफ़्तकार की श्रेणी में नहीं आता है। इसलिए याचिकाकर्ता के प्रार्थना पत्र को खारिज किया जाए।

दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने मामले में पेश स्टे एप्लीकेशन को खारिज कर दिया है।

‘राजद्रोह कानून : सजा 3 से बढ़ाकर सात साल कर रही है सरकार’

नई दिल्ली, 2 जून (वार्ता)। कांग्रेस ने कहा है कि सरकार राजद्रोह कानून को सख्त बनाकर औपनिवेशिक मानसिकता का परिचय दे रही है और चुनाव में विपक्ष की आवाज दबाने के लिए इसके इस्तेमाल को आसान बना रही है। कांग्रेस प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने शुक्रवार को संवाददाता सम्मेलन में कहा कि, सरकार विधि आयोग के जरिए कानून को उच्चतम न्यायालय की भावना के प्रतिकूल मजबूत करके इस कानून के तहत तीन साल की न्यूनतम सजा को सात साल कर रही है।

प्रवक्ता ने कहा, “मोदी सरकार

आने के बाद से 2020 तक राजद्रोह के मामलों में करीब 30 फीसदी की वृद्धि हुई है। करीना काल में अक्सरीज न तथा अन्य समस्याओं के विरोध के मामलों में 12 केस दर्ज हुए। इसी तरह 21 केस पत्रकारों के खिलाफ दर्ज हुए हैं और 27 केस सीएए-एथारसी के मुद्दे से जुड़े हैं। उत्तर प्रदेश में इन मामलों की 60 प्रतिशत जमानत याचिकाएं निरस्त होनी हैं। जनवरी 2021 में शशि थरकर, राजीव सरदेसाई, मृगाला पांडे, कौमो आवाज के जफर आगा, कारवां पत्रिका के परेशनाथ, एल्वार परिषद, विनोद दुआ आदि के विरुद्ध कानून का दुरुपयोग किया गया है।

भाजपा नये सहयोगी दलों...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

भाजपा की एकतरफा जीत हुई थी, उस समय उसे 28 दलों का समर्थन प्राप्त था, जिस में तेलुगु देशम पार्टी, आर.एल.एन.पी., लोक जनशक्ति पार्टी तथा पी.एम.के. शामिल थी। लेकिन भाजपा की आक्रामक विस्तारवादी योजनाओं को आगे बढ़ाने की नीति के कारण क्षेत्रीय पार्टियाँ और उनके नेता स्वयं को असुरक्षित अनुभव करते आ रहे हैं तथा इस प्रकार एन.डी.ए. जिसने पिछले महीने अपने 25 वंच पर किए हैं, अब केवल कागजों तक सीमित हो गया है।

अब भाजपा अपनी उस स्थिति एवं नीति के बदलने की दिशा में काम कर रही है। भाजपा-शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों तथा उप मुख्यमंत्रियों से बात करते हुये, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने उनसे कहा बताते हैं कि इस सोच को कम करने की दिशा में काम किया जाये कि भाजपा क्षेत्रीय दलों के साथ उचित समायोजन नहीं कर रही है। मोदी ने यह कहा बताते हैं, “भाजपा क्षेत्रीय आकांक्षाओं पर बहुत अधिक केन्द्रित रही है। इसलिए ऐसा सोच बनना ही नहीं चाहिये कि यह (भाजपा) क्षेत्रीय दलों के साथ सुविधाजनक स्थिति में नहीं

रहती है।”

उल्लेखनीय है कि मोदी को यह टिप्पणी उस दिन आई थी, जब अधिकांश बड़े विपक्षी दलों ने नये संसद के उद्घाटन के अति महत्वपूर्ण समारोह का बहिष्कार किया था। गैर-भाजपा दल, जिनमें शिरोमणि अकाली दल, वाय.एस.आर.सी.पी., जनता दल (एस), बीजू जनता दल, बसपा तथा तेलुगु देशम पार्टी शामिल थीं, समारोह में शामिल तो हुए थे, लेकिन इन दलों को ज्यदा से ज्यदा भाजपा के प्रति सहानुभूति रखने वाले दल माना जा सकता है, एन.डी.ए. गठबंधन का पार्टनर नहीं।

मजबूत तथा बड़ा एन.डी.ए., भाजपा के पक्ष में एक ऐसी बड़ी एवं प्रभावी ताकत करते हुये, भाजपा को एक समावेशी-पंथा अखिल भारतीय दल का रूप प्रदान करता है। इसके कई और भी लाभ हैं। उदाहरणार्थ, भाजपा उत्तर प्रदेश के 2022 के विधानसभा चुनावों में एक भी मुस्लिम प्रत्याशी खड़ा नहीं किया था। राजनैतिक पर्यवेक्षकों का कहना है कि अगर भाजपा के पास गठबंधन पार्टनर है तो भाजपा पार्टी अपने मित्र दलों का उपयोग इस समुदाय को यह दर्शाने के लिये कर सकती है कि

भाजपा का संरक्षण उन तक पहुँच रहा है।

कर्नाटक में...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

होगा।” उन्होंने कहा कि नदी पर कोई भी अनाधिकृत निर्माण तमिलनाडु के हितों को प्रभावित करेगा। बांध का निर्माण होगा, यह घोषणा कदापि स्वागत योग्य बयान नहीं है क्योंकि उस क्षेत्र पर तमिलनाडु का भी अधिकार है।” प्रोजेक्ट में कर्नाटक के रामनगर जिले में कनकपुरा में बांध बनाने का प्रस्ताव शामिल है। कर्नाटक कांग्रेस के नेता शिवकुमार जब विपक्ष में थे तब मेकेदातु प्रोजेक्ट के लिए पदयात्रा भी निकाल चुके हैं। प्रोजेक्ट के लक्ष्य बेंगलोर को पड़ोसी क्षेत्रों को पेयजल (4.75 बी.एम.सी.) उपलब्ध कराना तथा 400 मेगावॉट बिजली बनाना है। इसकी अनुमानित लागत 9000 करोड़ रू. दुरुपस्थान ने कहा कि तमिलनाडु ऐसे किसी भी कदम का विरोध करेगा। जल्दी ही मुलकात का अंतर मिलेगा। मुझे लगता है तब इस मुद्दे पर विस्तार से बातें होंगी, मुझे यकीन तब तक शिवकुमार धैर्य रखेंगे।

जोधपुर-दिल्ली...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

केंद्र सरकार की ओर से पैरवी कर रहे सीनियर अधिवक्ता और एडीशनल एडवोकेट जनरल आर.डी. रस्तोगी ने अदालत के समक्ष कहा कि वंदे भारत प्रोजेक्ट में अदालत को दखलंदाजी नहीं करनी चाहिये और केंद्र सरकार को प्रोजेक्ट पूरा करने के लिये नेलाकुदुरु इन्फ्रा प्रोजेक्ट्स को 30 माह का और समय दे रही है।

इस मामले में याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता आर.एन. माथुर पैरवी के लिये पेश हुए थे। इस मामले में अदालत ने 13 मार्च 2023 को एक तरफा बहस सुनकर अनुबंध रद्द करने के नोटिफ पर अंतिम रोक लगा दी थी। उक्त मामले में रेल सेवा शुरू करने में दो साल छह माह का विलंब पहले से ही चल रहा है। सुनवाई के दौरान रेल्वे ने कहा कि रेलवे सेवा के लिये आधारभूत संरचना का कार्य अगस्त 2020 तक समाप्त हो जाना चाहिये था परंतु नेलाकुदुरु इन्फ्रा प्रोजेक्ट्स को सात बार समय सीमा बढ़ाकर काम पूरा करने का मौका भी दिया गया था लेकिन वह काम पूरा नहीं कर पाई थी। इसके बाद 24 फरवरी 2023 को इनकी समय सीमा खत्म हो गई और रेलवे द्वारा कान्ट्रैक्ट खत्म किया जाने के संबंध में नोटिफ दे दिया गया।

इंडिगो की हर सप्ताह हॉंगी 1.74 विदेशी उड़ानें

नई दिल्ली, 2 जून (वार्ता)। विदेशी मार्गों पर हवाई यात्रा की बढ़ती मांग का लाभ उठाते हुए एयरलाइन इंडिगो ने विदेशी मार्गों पर अपने परिचालन में बड़े पैमाने पर वृद्धि करने की घोषणा करते हुए कहा है कि अब इन मार्गों पर उसकी उड़ानों की साप्ताहिक संख्या 174 तक पहुँच जाएगी। इंडिगो की इन उड़ानों से जुड़े नए शहरों में नैरोबी, जकार्ता, ताशकंद और अल्मटी जैसे शहर भी शामिल होने जा रहे हैं। योजना के अनुसार, थरेलू बाजार में सबसे बड़ी हिस्सेदारी वाली एयरलाइन केन्या में नैरोबी और इंडोनेशिया में जकार्ता को जुलाई से मुंबई से सीधी उड़ानों से जोड़ेगा। एयरलाइन ने शुक्रवार को एक बयान में कहा, अगस्त में दिल्ली से लिबिलिरी (काँजिया) के बीच सप्ताह में दोनो ओर से तीन-तीन उड़ानें और बाकू (अजरबैजान) के लिए चार-चार उड़ानें शुरू की जाएंगी। इसी तरह सिबैर में ताशकंद (उज्बेकिस्तान) के लिए दोनो ओर से चार-चार और अल्मटी (कजाकिस्तान) के लिए तीन-तीन उड़ानें शुरू हो जाएंगी।

मैटा अपनी रिमोट वर्क पॉलिसी वापस लेगी

हफ्ते में तीन दिन ऑफिस आकर काम करना अनिवार्य होगा

कहा कि कंपनी इसके “सार्थक प्रभाव” की उम्मीद करती है। बयान में कहा गया है, “हम डिस्ट्रिब्यूटेड वर्क के लिए प्रतिबद्ध हैं, और हमें विश्वास है कि लोग ऑफिस आकर काम करते हुए यह दावा किया कि ऑफिस से काम करने वाले इंजीनियरों ने रिमोटली काम करने वालों की तुलना में बेहतर प्रदर्शन किया है। लेकिन जकरबर्ग की यह बात 2021 में कोविड-19 महामारी के पीक के दौरान कहीं गई बात से बिल्कुल अलग थी। क्योंकि उस समय उन्होंने कहा था कि “अच्छा काम” कहीं भी किया जा सकता है।”

मैटा के प्रवक्ता ने सीएनबीसी में पॉलिसी में बदलाव की पुष्टि की और

खतरा 10,000 से ज्यादा कर्मचारियों पर मंडरा रहा है। कंपनी ने कर्मचारियों के “भत्तों” में भी कटौती की है, जिसमें - कर्मचारियों की मानसिक स्वास्थ्य के लिए महामारी के दौरान पुर किए गए एक्स्ट्रा वैकेशन डेज यानी मेटा डेज भी शामिल हैं।

एक तरफ जहां मेटा, सप्ताह में तीन बार कर्मचारियों को ऑफिस में लाने के लिए हर संभव उपाय कर रही है। वहीं दूसरी ओर, ऐपल के कर्मचारियों ने कंपनी के अनिवार्य तीन-दिन वर्क-फ्रॉम-ऑफिस पॉलिसी से असंतोष व्यक्त किया।

लेकिन ऐपल का मानना है कि कंपनी के कल्चर और फ्यूचर के लिए “इन-पर्सन कोलेबोरेशन” जरूरी है। इसी तरह, अमेजन के कर्मचारियों ने भी इस हफ्ते की शुरुआत में ऑफिस से तीन दिन के काम को अनिवार्य करने के कंपनी के फैसले के बाद वाकआउट किया था। अमेजन के कर्मचारी भी छंटनी के फैसले से खफा हैं।